कार्यालय आयुक्त
गन्ना एवं चीनी, उत्तर प्रदेश।
17 न्यू बेरी रोड डालीबाग, लखनऊ।

पत्रांकः कै0/878/सी0/विकास अनुभाग/लखनऊ दिनांक 21/07/2020

1. समस्त क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त, उ.प्र.।
2. समस्त सम्बन्धित जिला गन्ना अधिकारी, उ.प्र.।
3. समस्त सम्बन्धित प्रधान प्रबन्धक, चीनी मिलें, उ.प्र.।

विषयः गन्ना खेती के क्षेत्र में महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराये जाने हेतु सिंगल बड चिप विधि से गन्ने की नर्सरी तैयार कर सीडलिंग का वितरण के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्याः कै./773/सी./विकास अनुभाग दिनांक 08 मई, 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जो उपर्युक्त विषय के संबंध में है। तदक्रम में गन्ना खेती के क्षेत्र में महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराये जाने हेतु सिंगल बड चिप विधि से गन्ने की नर्सरी तैयार कर सीडलिंग का वितरण के क्रियान्वयन हेतु निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

समूह का गठन एवं कार्यक्रम के क्रियान्वयन की रूप रेखा :

1. स्वंय सहायता समूह का गठन परिषद को इकाई मानते हुये ''पहले आओ पहले पाओ'' के आधार पर किया जायेगा।
2. स्वयं समूहों का नाम, पता, बैंक खाता नम्बर, समूह के सदस्यों का फोटो सहित नाम पता एवं पदाधिकारियों का विवरण एक रजिस्टर में अंकित किया जायेगा जिसमें समूहों का क्रम वही होगा जिस क्रम में उनका रजिस्ट्रेशन विभाग में किया गया है।
3. एक परिषद के अधीन 05 महिला समूहों का गठन किया जायेगा तथा अधिकतम 10 महिला समूहों को योजना के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।
4. प्रत्येक महिला समूह में सदस्यों की संख्या कम से कम 10 एवं अधिकतम 20 होगी। बैंक खाता समूह के रजिस्टर्ड नाम से होगा तथा इसका संचालन समूह में से ही चुनी हुई अध्यक्षा/संयोजका एवं सदस्य सचिव द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा। समूहों को प्राप्त अनुदान/लाभान्श का वितरण सभी सदस्यों में बराबर–बराबर मात्रा में किया जायेगा।

5. विवाद की स्थिति में समूह की सामान्य बैठक की दो तिहाई बहुमत का निर्णय मान्य होगा (कोरम–50 प्रतिशत) अथवा समूह द्वारा स्वयं विवाद नही सुलझा पाने की स्थिति में जिला गन्ना अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। ।

6. गन्ना विकास परिषद/चीनी मिल स्तर पर ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक द्वारा चीनी मिल के साथ मिलकर अपने जोन में उक्त प्रयोजन हेतु स्थल/ग्रामों का चयन कर महिलाओं का स्वयं सहायता समूह बनाया जायेगा।

7. इन स्वयं सहायता समूहों द्वारा सिंगल बड चिप के माध्यम से तैयार किये जाने वाले सीडलिंग के उत्पादन एवं उसके वितरण हेतु वर्कप्लान परिषद स्तर पर तैयार किया जायेगा तथा स्वयं सहायता समूहों का पूरा विवरण परिषद स्तर पर अनुरक्षित किया जायेगा।

8. इस कार्यक्रम के अर्न्तगत महिला स्वयं सहायता समूह में शामिल महिलाओं के नाम, पता, भू–क्षेत्र, मोबाईल आदि का विवरण स्वयं सहायता समूहों द्वारा बोया जाने वाला नर्सरी क्षेत्रफल, उत्पादित/वितरित सीडलिंग आदि का विवरण गन्ना विकास परिषद स्तर पर अनुरक्षित रखा जायेगा तथा सम्बन्धित किस्म, पौध की गुणवत्ता आदि संयुक्त रूप से सम्बन्धित ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक एवं चीनी मिल प्रतिनिधि द्वारा सत्यापित की जायेगी।

9. ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक द्वारा गठित महिला समूहों एवं उनके द्वारा किये जाने वाले उत्पादन का विवरण जिला गन्ना अधिकारी के माध्यम से उप गन्ना आयुक्त को भी भेजी जायेगी।

10. महिला स्वयं सहायता समूहों के गठन, बीज गन्ना नर्सरी उत्पादन एवं वितरण की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अपर गन्ना आयुक्त (विकास), मुख्यालय को भेजी जायेगी।

11. जिले स्तर पर, स्वयं सहायता समूह के गठन, प्रशिक्षण, सिंगल बड चिप के उत्पादन हेतु नवीन किस्मों के स्वस्थ्य बीज गन्ने की उपलब्धता कराने एवं तैयार सीडलिंग के वितरण का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व जिला गन्ना अधिकारी का होगा।

12. मण्डल/परिक्षेत्र स्तर पर, कार्यक्रम का पर्यवेक्षण सम्बन्धित उप गन्ना आयुक्त द्वारा किया जायेगा और यथावश्यक निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद शाहजहॉपुर, चीनी मिल एवं स्वयं सहायता समूहों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्यक्रम को सफल बनाया जायेगा।

13. महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा उत्पादित गन्ना सीडलिंग को स्थानीय कृषकों को एन.एफ.एस.एम. के अन्तर्गत प्रदर्शन/सामान्य बुवाई हेतु वितरित कराया जायेगा।

14. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अन्तर्गत स्थापित किये जाने वाले प्रदर्शनों में गन्ने की बुवाई महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा सिंगल बड चिप से तैयार सीडलिंग से अनिवार्य रूप से की जायेगी।

15. यह विशेष रूप से ध्यान रखा जाय कि महिला स्वयं सहायता के चयन में सम्बन्धित चीनी मिल, गन्ना विकास परिषद के प्रतिनिधियों द्वारा किया जायेगा। समूह के प्रशिक्षण की व्यवस्था सम्बन्धित विभाग, चीनी मिल एवं शोध केन्द्र के वैज्ञानिक संयुक्त रूप से सुनिश्चित करेगें।

सावधानियॉः–

1. बड चिप के लिए 7 से 9 माह की स्वस्थ एवं रोग कीट रहित फसल से गन्ना का चुनाव करें।
2. रोग एवं कीट रहित स्वस्थ ऑखों वाले गन्ने से ही बड चिप निकालें।
3. बड चिप निकालते समय यह ध्यान रखें कि उसकी ऑखें क्षतिग्रस्त न हों तथा क्षतिग्रस्त ऑखों वाले बड चिप की बुवाई न करें।
4. बड चिप तैयार करते समय यह विशेष ध्यान रखा जाय कि गन्ने से बड चिप को निकालनें के तुरन्त बाद बड चिप को बिना किसी देरी के उपचार हेतु तैयार घोल में डुबा दिया जाय, क्योकि बड चिप निकालते समय बड चिप के ऊपर वैक्सिंग (मोम जैसे पदार्थो का जमाव) हो जाता है जो बड चिप के अंकुरण में बाधक हो सकते है।
5. बड चिप को बुवाई से पूर्व वाविस्टीन 0.1 प्रतिशत घोल में 05 मिनट के लिए डुबों कर उपचारित करलें।
6. यदि बड चिप को किसी दूर स्थान पर भेजना है तो उसे पंखे की हवा में सुखा कर भेजना चाहिए।
7. कप या पोरट्रे में नीचे छेद कर जल निकास की व्यवस्था आवश्यक है।
8. बुवाई के बाद हजारे से हल्के पानी का छिड़काव करते रहे।
9. बड चिप को बड स्कूपर से निकालने के बाद 100 ppm इथेफान (2.5 मिली. /10 लीटर) और बाविस्टीन 2 ग्राम/लीटर पानी के साथ मिलाकर कलिकाओं (बड्स) को पूरे रात भिगोकर रखे। इसके बाद कलिकाओं को 0.2% (2 ग्राम पति लीटर) पानी मे 15–20 मिनट के लिये भिगो देना चाहिये।
10. इन कलिकाओं को छोटे कप में या छोटी क्यारियों में बालू+कार्विनिक खाद+मिट्टी (1:1:1) के अनुपात में मिलाकर कलिकाओं को लगा दें ध्यान रखना चाहिये कि कलिकायें लम्बवत (ऊपर की तरफ) होनी चाहिये। इसके बाद उपरोक्त मिश्रण से 1–2 इंच ढक देना चाहिये।

11. कलिकाओं को लगाने के बाद मिश्रण को क्लोरपाइरीफास (20 मिली./10 लीटर) पानी में मिलाकर छिड़काव करे ताकि दीमक से बचाव हो सके।

12. निम्न ताप की दशाओं में इसे कवकनाशी एवं हार्मोन से उपचारित करने के पश्चात् छिद्रयुक्त पालिथीन की थैलियों में अथवा कागज के डब्बों में रख लेते है।

13. पौध (6–7 सप्ताह) पुरानी पौध रोपाई के लिये तैयार हो जाती है। पौधो की जड़ो को यथा सम्भव खुला नही छोड़ना चाहिये। इनका सावधानी के साथ प्रत्यारोपण करना चाहिए।

14. पौध की रोपाई के समय नालियों की सिंचाई कर देनी चाहिये और खरपतवार मुक्त होनी चाहिये।

15. अन्य शस्य क्रियायें सामान्य गन्नें की फसल की तरह करना चाहिये।

बड चिप विधि से उत्पादित सीडलिंग की लागत के दृष्टिगत समूह के लिए इस कार्य को उत्साहजनक, रूचिकर एवं लाभकारी बनाये रखने एवं सुचारू वितरण के लिए रु.1.50/प्रति सीडलिंग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से अनुदान के माध्यम से एवं शेष रु.1.50/प्रति सीडलिंग क्रेता कृषक के स्तर से देना होगा। यदि किसी कारण से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अन्तर्गत पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था नही है तो ऐसी दशा में समूह द्वारा उत्पादित सीडलिंग को सम्बन्धित गन्ना विकास परिषद के बजट से सीडलिंग पर देय अनुदान की व्यवस्था करते हुए वितरण सुनिश्चित कराया जायेगा।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराये। साथ ही समस्त क्रियाकलापों में भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा कोविड–19 के संबंध में जारी गाईड लाइन के अनुसार सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(संजय आर. भूसरेड्डी)
आयुक्त
गन्ना एवं चीनी उ.प्र.

पत्रांक 874 तद्दिनांक: 21-07-2020

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रबन्ध निदेशक, चीनी मिल संघ, 9ए राणाप्रताप मार्ग, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, चीनी निगम, गोमतीनगर लखनऊ।
3. विशेष सचिव, चीनी उद्योग अनुभाग–1, उ.प्र. शासन।
4. मिशन निदेशक, रा.खा.सु.मिशन, कृषि भवन लखनऊ।